संख्या- /2022/ /001-R 10- 2037

प्रेषक,

हरि प्रसाद सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः #ApprovedDate 15 दिसम्बर, 2022

विषयः उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 500.00 लाख में से अगली किश्त के रूप में रूपये 83.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-652 रा0आ0प्र0प्रा/2022-23, दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से किये गये मांग पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय –ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 के प्रस्तर-2 (7)(स) के प्राविधानुसार पूर्व मेंअवमुक्त रू0 250.00 लाख की धनराशि को तीन किश्तों में समायोजित मानते हुये चौथी किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख (रूपये तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	अवशेष धनराशि
1	सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 2245-80-800-06-00-20	500.00	250.00	83.33	166.67
	–योग	500.00	250.00	83.33	166.67
	(रूपये तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र)				

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जाएगा।

(5) उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0 42 आई में शासन को उपलब्ध कराते हुये अगली किश्त की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,33,000 (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 051 **लेखा शीर्षक** 2245808000600 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-128-X-2022-23, दिनांक- 15.12.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या- /2022/ /001-R 10- 2037</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Signed by हरि प्रसाद सिंह
Date: 15-12-2022 18:06:05
Reason: Approved

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-16/12/2022

प्रेषण संख्या:- 2037
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2037
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	8333000 33333000	8333000 33333000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8333000 33333000	8333000 33333000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरासी लाख तैंतीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।